

दीपावली पर कार्बाइड गन और अवैध पटाखों पर सख्ती

हादसे हुए तो कलेक्टर-एसपी होंगे जिम्मेदार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आगामी त्योहारों और सामाजिक-धार्मिक मेलों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्बाइड गन और कार्बाइड लैंप के उपयोग पर सख्ती से रोक लगाई जाए। किसी जिले में दुर्घटना या अग्रिय स्थिति बनने पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री बुधवार को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों, संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने दीपावली के दौरान पटाखों की अवैध बिक्री, भंडारण और प्रतिबंधित पटाखों के उपयोग पर प्रभावी रोक लगाने को कहा। पटाखा दुकानों के लाइसेंस जारी करते समय निर्धारित शर्तों का पालन

करने और दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। विस्फोटक सामग्री का अवैध भंडारण मिलने पर वैधानिक कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नियमित गश्त करने और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। अग्निशमन वाहन, एंबुलेंस और प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ अस्पतालों को भी अलर्ट रखने को कहा।

मुख्यमंत्री ने त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नकली या मिलावटी मावा, घी, पनीर और मिठाइयां नहीं बिकनी चाहिए। खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर संदिग्ध पदार्थों के



► **मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा की**

► **मिलावटी मावा, घी, पनीर और मिठाइयों की बिक्री रोकने के निर्देश**

नमूने लिए जाएं और जरूरत पड़ने पर जब्ती की कार्रवाई की जाए। साथ ही किसी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाए।

बैठक में अधिकारियों ने

बताया कि मिलावट के मामलों में अब तक 17 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं और 42 प्रकरणों में प्रार्थमिकी दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम कर

त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।



दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी में मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला बुधवार दोपहर बाद से प्रारंभ हो गया। नवरात्रि उत्सव के बाद श्रद्धालु भक्तिभाव के साथ मां दुर्गा को विदाई दे रहे हैं। विभिन्न दुर्गा उत्सव

समितियों की प्रतिमाएं विसर्जन स्थलों पर पहुंच रही हैं। कई स्थानों पर मां दुर्गा और काली की विशाल प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। विसर्जन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। ढोल-नगाड़ों और

जयकारों के बीच भक्त मां को विदाई दे रहे हैं। प्रतिमाओं को सुरक्षित तरीके से विसर्जित करने के लिए क्रेन की मदद भी ली जा रही है। शहर में विसर्जन के चलते प्रमुख स्थलों पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई है।

ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

नप्र, भोपाल : बिलखिरिया थाना इलाके में मंगलवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक जल्द कर लिया है। बिलखिरिया थाने के एसआई हरिशंकर तिवारी ने बताया कि छोला क्षेत्र के गांव महोली का रहने वाला 24 वर्षीय प्रदीप पुत्र शिवप्रसाद सोनी सेज ग्रुप में नौकरी करता था। मंगलवार सुबह वह बाइक से ड्यूटी पर जा रहा था। सुबह नौ बजे वह ग्राम अमझरा के सामने से गुजर रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने उसकी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। जिसके चलते प्रदीप काफी दूर उछलकर सड़क पर गिर पड़ा। हेलमेट पहने रहने के कारण उसके सिर में चोट नहीं लगी,लेकिन शरीर के अन्य भागों में उसे गंभीर चोट लगी थी। बुरी तरह घायल अवस्था में उसे एसएम में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान दोपहर में उसकी मौत हो गई।

जहां दिखाते थे रंगदारी वहीं पर कान पकड़कर निकाला जुलूस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मंगलवार रात हबीबगंज थाने में पुलिसकर्मियों से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी हेंकड़ी की निकाल दी। उनका उसी क्षेत्र में कान पकड़ाकर जुलूस भी निकाला गया, जहां उनका आंतक था। इस मामले में चार लोग अभी भी फरार हैं। हबीबगंज थाना पुलिस के मुताबिक मंगलवार शाम को क्षेत्र में हुए आपसी विवाद के बाद दो पक्ष के लोग शिकायत करने के लिए थाने पहुंचे थे। इस दौरान एक पक्ष थाना परिसर में वीडियो बनाने लगा, तो अभिषेक राय उर्फ लड्डू ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर प्रधान आरक्षक नागेंद्रसिंह ने उन्हें समझाने की कोशिश की। इस बात पर भड़कते हुए अभिषेक, रोहन जायसवाल, अमित राय, अनिल और आकाश ने प्रधान आरक्षक के साथ झुमाझटकी करते हुए मारपीट करना शुरू कर दी। इस दौरान हवलदार की वर्दी भी फट गई। घटनाक्रम का वीडियो बड़ी तेजी से इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने लगा। इससे पुलिस के आला अफसर भी सकते में आ गए। बदमाशों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश मिलते ही पुलिस ने मुख्य आरोपी अभिषेक



हबीबगंज थाने में पुलिसकर्मियों से की थी झुमाझटकी

राय उर्फ लड्डू और रोहन जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी संजीव चौकसे ने बताया कि बुधवार को बदमाशों का 12 नंबर इलाके में जुलूस निकाला गया। उसके कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।

नशा मुक्ति केंद्र में युवक से मारपीट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: रातीबड़ थाना इलाके में स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में संस्था के कर्मचारियों सहित चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रातीबड़ थाना प्रभारी रासबिहारी शर्मा ने बताया कि नशे का आदी होने के कारण विश्वजीत चौहान नाम के युवक को परिवार के लोगों ने उपचार के लिए आशा नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया है। नशा पर पूरी तरह बंदिश रहने के कारण बेचैन होकर विश्वजीत सोमवार शाम मौका पाकर नशा मुक्ति केंद्र से भाग निकला। संस्था के कर्मचारियों ने उसे खोज निकाला और वापस ले आएं। आरोप है कि वापस लाने के बाद विश्वजीत के साथ जमकर मारपीट की गई। मारपीट करने में कर्मचारियों के साथ ही वहां भर्ती एक मरीज ने भी सहयोग किया। घटना की शिकायत मिलने पर मौलवार देर रात आरोपी गौरव, संदीप, विजय और अशोक के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

आचार्यश्री के जन्मोत्सव पर गुरु वंदना महोत्सव 26 को

नप्र, भोपाल : संत शिरोमणि आचार्यश्री विद्यासागर महाराज का जन्मोत्सव 26 अक्टूबर को शहर में श्रद्धा भक्ति के साथ मनेगा। इसी कड़ी में गुरु वंदना महोत्सव रविंद्र भवन के हंस ध्वनि सभागार में होगा। इसमें विभिन्न जिनालयों की टीमें सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को समाजरत्न एवं समाजसेवा सम्मान भी दिया जाएगा। कार्यक्रम के सूत्रधार रवींद्र जैन पत्रकार ने बताया कि पिछले 22 वर्षों से रविन्द्र भवन में यह आयोजन निरंतर हो रहा है। इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा बुंदेलखंड के सबसे छोटे गायक रोशन पटेल अपनी शानदार प्रस्तुतियां भी देंगे। वे आचार्यश्री के जीवन पर आधारित गीतों से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। इसके अलावा राजधानी के जिनालयों में आचार्यश्री के जन्म दिन पर विशेष अनुष्ठान होंगे।

अधिकारी फील्ड में रहकर सुलझाएँ समस्याएँ

मुख्यमंत्री बिना सूचना किसी भी जिले में पहुंचकर करेंगे निरीक्षण कम वर्षा वाले 12 जिलों के लिए विशेष कार्ययोजना के निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के दौरान फील्ड में रहकर जनसमस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार की प्रार्थमिकता वाला अभियान है और सभी अधिकारियों को इसमें गंभीरता से काम करना होगा। मुख्यमंत्री अब बिना पूर्व सूचना किसी भी जिले में पहुंचकर अभियान की गतिविधियों में शामिल होंगे। वे बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों, संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्थलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए राजस्व, महिला एवं बाल विकास, खाद्य

एवं नागरिक आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागों को स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने भी अभियान में अपेक्षित प्रगति नहीं करने वाले कलेक्टरों से प्रदर्शन सुधारने को कहा। बैठक में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 योजना की समीक्षा की गई। योजना के तहत 49 लाख 48 हजार 980 भूखंडों की निशुल्क रजिस्ट्री के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 1 लाख 60 हजार 230 रजिस्ट्रियों का जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों और पटवारियों की सराहना की तथा कम प्रगति वाले जिलों को काम तेज करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 12 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। संबंधित कलेक्टरों को खेती-किसानी, पेयजल और सिंचाई के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने को कहा गया। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिला अस्पतालों और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में शुरू किए गए चेस्ट क्लीनिकों की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। उन्होंने दीपावली से पहले क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और अधूरे निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। एक नवंबर को भोपाल के लाल परेड मैदान में मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह आयोजित होगा। गोवर्धन पूजा पर 208 वृंदावन ग्रामों के पशुपालकों को गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

भोपाल सहित कई जिलों में पड़ी बौछारें शुक्रवार से मौसम साफ होने के आसार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: अरब सागर से मिल रही नमी के कारण पिछले तीन दिनों से प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादल बने हुए हैं। साथ ही कहीं-कहीं वर्षा भी हो रही है। इसी क्रम में पिछले 24 घंटों के दौरान बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे तक भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर एवं सागर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं वर्षा हुई। रात का सबसे कम 15.8 डिग्री सेल्सियस तापमान अनूपपुर में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक शुक्रवार से बादल छंटने और

मौसम साफ होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में एक ऊपरी हवा का चक्रवात थाईलैंड को खाड़ी में बना हुआ है। इसके शुक्रवार तक बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान एवं उत्तरी हरियाणा पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बने हुए हैं। 24 अक्टूबर से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में आने के भी आसार हैं। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी वीएस यादव ने बताया कि

वातावरण में नमी रहने के कारण बादल बने हुए हैं। गुरुवार को भी बादल बने रह सकते हैं। साथ ही कहीं-कहीं छिटपुट बौछारें पड़ सकती हैं। शुक्रवार से मौसम साफ होने के आसार है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि बादल छंटने के बाद रात के तापमान में गिरावट होने लगेगी। हालांकि बंगाल की खाड़ी में एक शक्तिशाली असदाब का क्षेत्र उत्तर भारत में आने के सप्ताह बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है।

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस), आईआईसी.पी. बिल्डिंग, 7 वीं मंजिल, प्लॉट P-6,7,8, से-5, आईएम.टी. मानेसर, गुर्गांव, हरियाणा 122050. Email: roc.cpace@mca.gov.in		Government of India Ministry of Corporate Affairs Centre for Processing Accelerated Corporate Exit (C-PACE) IICA Building, 7 th Floor, Plot P-6,7,8, Sector-5, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana-122050. Email: roc.cpace@mca.gov.in
---	---	--

प्रारूप संख्या एसटीके-6 सार्वजनिक सूचना

(कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसार)

सार्वजनिक नोटिस : ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2026-27/1575

संदर्भ :

1. कम्पनी अधीनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (42) कम्पनियों का नाम मध्य प्रदेश राज्य से हटाने के मामले में :

S No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AC5851400	U242900MP2022PTC060074	फिनोबल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
2	AC5701172	U729000MP2016PTC041790	वाइपर इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
3	AC5693395	U930900MP2017PTC043814	अर्बॉन इंटेलेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
4	AC5447065	U62013MP2025PTC078909	वरपट टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
5	AC5755612	U52291MP2025PTC080601	कार्तिकेय इन्फिनिटी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
6	AC5742546	U34101MP2021PTC055583	ई-अव्वा ऑटोमोटिव (इंडोर) प्राइवेट लिमिटेड
7	AC5779652	U46620MP2023PTC068272	इंटेसिटी एल्योज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
8	AC5756595	U80100MP2023PTC068868	मंशा देवी सिन्थोरेटी एंड लेबर सलायर्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AC5836534	U10739MP2023PTC064761	गबरा फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AC5805724	U85300MP2021PTC056190	आर्पन डायमॉन्डिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
11	AC5733466	U34300MP2024PTC060348	बिलियन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
12	AC5754867	U46692MP2025PTC074752	एग्रोविर केमिकल एंड फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड
13	AC5747721	U62099MP2025PTC077078	देसीबाय टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
14	AC5750331	U15549MP2022PTC060047	एबीएम वाइनयार्ड एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
15	AC5707556	U46901MP2023PTC068246	एलमेस्टार इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
16	AC5730668	U62099MP2024PTC074018	कमरानी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
17	AC5758838	U01100MP2021PTC058493	इग्नाइटोड सोलूज एंड एप्ली प्राइवेट लिमिटेड
18	AC5695035	U85100MP2021PTC056205	सिटी मल्टीस्पेशियलिटी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
19	AC5672340	U31001MP2023OPC068525	विष्ठा कासा (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
20	AC5691839	U62091MP2024PTC070093	बिलियनमोड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
21	AC5733040	U70109MP2022PTC063178	श्यामेश्वरी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
22	AC5608692	U74999MP2019PTC048273	साविरियासेंट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
23	AC5548204	U70200MP2024PTC072310	गॉर्मेट गार्डेंस प्राइवेट लिमिटेड
24	AC5568893	U74999MP2018PTC045334	न्यूटेलर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
25	AC5466540	U46633MP2025PTC080675	रोययाली टैटर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
26	AC5756305	U51909MP2022PTC060273	भोपाल मेटल स्क्रीप प्राइवेट लिमिटेड
27	AC5847000	U72900MP2022PTC059342	डीएच टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
28	AC5815097	U72200MP2023PTC064448	बी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जनरेशन हब प्राइवेट लिमिटेड
29	AC5739133	U46497MP2025PTC080578	मेडलरेर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
30	AC5733834	U96020MP2023PTC067046	वाग्मी ब्यूटी एंड वेलेनेस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
31	AC5684219	U73100MP2022PTC062376	इंडियन जियो इंजीनियरिंग लेबोरेटरी एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
32	AC5667077	U15490MP2021PTC057717	बुंदेलखंड एरोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
33	AC5644760	U74999MP2016PTC040995	डीकेएस वेटेस एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
34	AC5645991	U22300MP2022PTC059853	प्रासक क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड
35	AC5663731	U15400MP2020PTC052351	एसएके फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
36	AC5669256	U85110MP2006PTC018979	गाज़ा लाइफ एंड आर्ट प्राइवेट लिमिटेड
37	AC5745772	U74999MP2019PTC050448	फार्मयंत्र प्राइवेट लिमिटेड
38	AC5592350	U74999MP2022PTC060567	हिर रिफ़ेश प्राइवेट लिमिटेड
39	AC5588493	U55101MP2021PTC058630	वाराही होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
40	AC5579292	U01112MP2024PTC069446	सात्विक मिनेट्स प्राइवेट लिमिटेड
41	AC5428965	U46529MP2025PTC074278	इलेक्रीज ट्रेडिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
42	AC5457477	U63030MP2022PTC063790	वृष्टिपत्र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

- इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्ष से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रुप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।
- तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रर से हटाने का प्रस्ताव करता है
- यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

अपरकन तिथि

CBC07123/11/0677/2627

त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र